

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/07/2025

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/19

प्रवेश तिथि
07.01.2025

निर्णय दिनांक
31.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. किशोरी पुत्र नारायण जाति बावरिया निवासी सालपुरी, तहसील अलवर जिला अलवर (राज०)।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—पैरोकार सरकार

—निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम सालपुरी, तहसील अलवर की आराजी खसरा न० 645 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी-2, ख.नं. 646 रकबा 0.05 है० किस्म बारानी-2 किता 2 कुल रकबा 0.40 है० भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न० 645 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी-2, ख.नं. 646 रकबा 0.05 है० किस्म बारानी-2 किता 2 कुल रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सालपुरी तहसील अलवर की आराजी का वर्ष 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटन का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

पटवारी हल्का भजीट की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से स्पष्ट जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा-काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट संलग्न है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा न० 645 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी-2, ख.नं. 646 रकबा 0.05 है० किस्म बारानी-2 किता 2 कुल रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सालपुरी तहसील अलवर जिला अलवर की आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित आराजी खसरा न० 645 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी-2, ख.नं. 646 रकबा 0.05 है० किस्म बारानी-2 किता 2 कुल रकबा 0.40 है०

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भूमि वाके ग्राम सालपुरी मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए किया गया था। आराजी खसरा न० 645 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी-2, ख.नं. 646 रकबा 0.05 है० किस्म बारानी-2 किता 2 कुल रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सालपुरी गैर खातेदार अप्रार्थी/आवंटी किशोरी पुत्र नारायण जाति बावरिया नि० सालपुरी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का भजीट की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा न० 645 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी-2, ख.नं. 646 रकबा 0.05 है० किस्म बारानी-2 किता 2 कुल रकबा 0.40 है० भूमि पर वर्तमान में गैर खातेदार (अप्रार्थी) का कोई कब्जा व काश्त नहीं है तथा मौके पर उपस्थित मौतविरान द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी/आवंटी एवं उनके वारिसानों का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त खसरों पर दीगर व्यक्ति का कब्जा होना बताया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का ढहलावास से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि का आवंटन होने के बाद अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी/अप्रार्थी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी एवं द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भूआवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भूआवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई आराजी खसरा न० 645 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी-2, ख.नं. 646 रकबा 0.05 है० किस्म बारानी-2 किता 2 कुल रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सालपुरी तहसील अलवर जिला अलवर के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)